22.5.24 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकैन उपस्थित। बहस T.9 सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल दावा में आगामी तारीख पेशी नियत है और साक्ष्य प्रतिवादी में है। वकील सायलान ने दावे के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। वकील और सायलान ने भूमि अपनी खातेदारी की होना कथन किया है।

प्रकरण की स्थिति को देखते हुये भूमि की स्थिति को ता फैसला दावा यथावत रखना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान आंशिक स्वीकार किया जाता है। सायलान व गैर सायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ख० नं० 92 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा ग्राम दरगांव परवार हलका ओंड तहसील मण्डरायल की मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मण्डरायल